प्रधान मंत्री
आवास योजना–शहरी
Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban

# मिशन निदेशालय
## सबके लिए आवास / एस.एल.एन.ए.–सूडा(उ.प्र.)
## प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

23, सैक्टर–7, गोमती नगर विस्तार,
(निकट डायल–100) लखनऊ–226010
website-www.sudaup.org
e-mail-hfaup1@gmail.com

पत्रांकः–8244 /03/29/HFA-DPR/PMC-Vol-II/2018–19 दिनांकः–19 दिसम्बर, 2018

1. मै0 स्नो फाउन्टेन कन्सलटेन्ट्स, लखनऊ।
2. मै0 क्रिएटिव कर्न्सोटियम, नई दिल्ली।
3. मै0 रूद्राभिषेक एन्टरप्राईजेज प्रा0लि0, नई दिल्ली।
4. मै0 स्पेस कम्बाइन, नई दिल्ली।
5. मै0 सरयूबाबू इन्जी0 फॉर रिसोर्स डेवलपमेन्ट, पटना
6. मै0 वाप्कॉस लि0, नई दिल्ली।
7. मै0 अरिनेम कन्सलटेन्सी सर्विसेज प्रा0लि0, लखनऊ
8. मै0 जयेश ए0 दलाल, गुजरात।
9. मै0 सरयूबाबू इन्जी0 इन्डिया प्रा0लि0, मुम्बई
10. मै0 हाईटैक बिल्डर्स, मध्य प्रदेश।

विषयः– **प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (BLC) घटक के अन्तर्गत लाभार्थियों से संशोधित शपथ पत्र लिये जाने के सम्बन्ध में।**

कृपया अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (BLC) घटक के अन्तर्गत डीपीआर में स्वीकृत लाभार्थियों से आवास निर्माण से पूर्व लिये जाने वाले शपथ पत्र के बिन्दु सं0–12 के स्थान पर नया बिन्दु ''प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में मेरे एवं मेरे परिवार द्वारा किसी अन्य घटक में लाभ नहीं लिया गया है तथा भविष्य में भी नहीं लिया जायेगा'' सम्मिलित किया गया है। संशोधित शपथ पत्र की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि भविष्य में लाभार्थियों से उक्त संशोधित शपथ पत्र लेने का कष्ट करें।

/

(उमेश प्रताप सिंह)
मिशन निदेशक (एचएफए)/
निदेशक, सूडा

प्रतिलिपिः–
1. समस्त परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।

19/12/18

(उमेश प्रताप सिंह)
मिशन निदेशक (एचएफए)/
निदेशक, सूडा

# शपथ पत्र

समक्षः–परियोजना अधिकारी, डूडा .................................

मैं ........................................................................ पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ..........................................................................

निवासी म0नं0 ............ गली नं0 .............. मोहल्ला ........................................................ वार्ड नं0 ............ जिला ........................................ निम्नानुसार वचन देता/देती हूँ किः–

1. मेरे या मेरे परिवार द्वारा पूर्व में केन्द्र/राज्य प्रायोजित किसी भी आवासीय योजना का लाभ नहीं लिया गया है।
2. मेरे द्वारा आवेदन के साथ भू–स्वामित्व सम्बन्धी प्रपत्र/शपथ पत्र एवं अन्य प्रपत्र कन्सलटेन्ट के माध्यम से डूडा में उपलब्ध करा दिये गये हैं।
3. मेरे या मेरे परिवार के नाम पूरे भारत में पक्का मकान नहीं है। मेरी जानकारी में है कि परिवार की परिभाषा में पति–पत्नी एवं अविवाहित आश्रित बच्चे सम्मिलित है।
4. मेरी एवं मेरे परिवार की वार्षिक आय रु0 .............................. है।
5. मेरा आधार कार्ड संख्या ................................................ है।
6. मेरा बचत खाता संख्या ....................................... बैंक का नाम ............................................ जिसकी शाखा ...................................... जनपद ................................ है।
7. मैनें स्वेच्छा से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत आवास बनाने के लिए आवेदन किया था। मैनें स्वेच्छा से लाभार्थी चयनित होने एवं सत्यापित होने के पश्चात् योजना अभिलेख में हस्ताक्षर किया एवं स्वेच्छा से आवास का निर्माण कर रहा/रही हूँ।
8. मैं स्थानीय नियमों के अनुसार आवास का निर्माण करूँगा/करूँगी। यदि आवास निर्माण हेतु नक्शा/मानचित्र स्वीकृति की आवश्यकता होती है, तो मेरे द्वारा सम्बन्धित विभाग से नक्शा/मानचित्र स्वीकृत कराया जायेगा।
9. मैं विवादित/दूसरे की भूमि/न्यायालय द्वारा रोक लगायी हुई भूमि पर निर्माण नहीं करूँगा/करूँगी।
10. मेरे संज्ञान में है कि मुझे प्रथम किश्त रु0 50,000 की धनराशि जीरो लेवल जियो टेगिंग के पश्चात्, द्वितीय किश्त रु0 1,50,000 की धनराशि स्लैब लेवल पर तथा अन्तिम किश्त रु0 50,000 की धनराशि आवास पूर्ण होने के पश्चात् दी जायेगी। आवास निर्माण हेतु सरकारी सहायता राशि के बाद निर्माण कार्य में होने वाले अतिरिक्त खर्च का वहन स्वयं करूँगा/करूँगी।
11. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत प्राप्त राशि से आवासीय इकाई का निर्माण नहीं कराये जाने की स्थिति में निकाय से प्राप्त राशि भारत सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज सहित एक मुश्त लौटा दूँगा/दूँगी।
12. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में मेरे एवं मेरे परिवार द्वारा किसी अन्य घटक में लाभ नहीं लिया गया है तथा भविष्य में भी नहीं लिया जायेगा।
13. मैं अनुबन्ध में वर्णित उपरोक्त सभी शर्तों का पालन करूँगा/करूँगी। यह संज्ञान में है कि शर्तों का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में मेरे विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
14. उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णित सभी तथ्य मेरी जानकारी में सही है। कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

दिनांकः–.....................................

स्थानः–.........................................

..............................................................

साक्षीः–

लाभार्थी का हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

1. ........................................................

2. ........................................................